जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)

क0 जेपीडी/मुअ(वा)/सी–I/एफ.4(210)पार्ट–XII/प्रे0 2342 दिनांक 23-09-08

आदेश

विषय – गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये (Scattered) घरों में 'घरेलू श्रेणी' के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये (Scattered) घरों में एफ.आर. पी.(F.R.P.) लागू करने से पहले सिंगल फेज सप्लाई हेतु 3 फेज ट्रांसफार्मर से ही घरेलू कनेक्शन को बिजली मिलती थी। अर्थात उन्हें कृषि कार्य हेतु निर्धारित ब्लॉक (Block Hours) से अधिक समय के लिये बिजली मिलती थी। एफ.आर.पी.(F.R.P.) के पश्चात इन घरेलू कनेक्शनों की विद्युत सप्लाई 3 फेज ट्रांसफार्मर से हटानी पड़ी थी। इस समस्या के निवारण हेतु निगम द्वारा सिंगल फेज विद्युत तंत्र (System) फैलाया जाने के आदेश क्रमांक 261 दिनांक 17.2.07(जेपीआर5–380)एवं क्रमांक 1295 दिनांक 18.07.07(जेपीआर5–406) द्वारा जारी किये गये थे।

इन आदेशों के अनुसार यथासंभव 5 से 10 केवीए क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद्युत भार केन्द्र (Load Center) पर लगाकर उपरोक्त कनेक्शन जारी करने हैं। यदि 5 से 10 केवीए के ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने पर इससे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर भी लगाये जा सकते हैं।

तत्पश्चात आदेशानुसार सिंगल फेज विद्युत तंत्र फैलाने हेतु स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में पड़ने वाले उपभोक्ता को ही कनेक्शन दिये जाने हेतु आदेश क्रमांक 1395 दिनांक 18.7.07 (जेपीआर5–406) जारी किया गया।

अतः निदेशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाये हैं उन्हीं से 500 मीटर की दूरी तक नये घरेलू कनेक्शन भी दिये जा सकते हैं।

22.9.2008

(एन.एम.सरीन)
मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य)